

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
तकाम
के
इस हुकम
की तारीख में
जारी हुए

8/26

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश किया गया है कि राजस्व ग्राम खिलचीपुर पटवार क्षेत्र खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर की जमाबंदी खतौनी सम्बत 2068-71 के अनुसार खाता संख्या 208 में दर्ज खसरा नम्बर 4547 रकबा 0.24 हैक, खसरा नम्बर 4550 रकबा 0.78 हैक, खसरा नम्बर 4551/4970 रकबा 0.18 हैक, खसरा नम्बर 4559/4969 रकबा 0.06 हैक कुल किता 4 कुल रकबा 1.24 हेक्टेयर पर राजस्व रिकार्ड पर हिस्से अनुसार एवं उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि में अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी भूमि अपने अपने हिस्से के अनुसार पक्षकारो की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया जाकर एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव (तकास्मा स्किम) तैयार की जावे तथा उक्त तकास्मा स्किम में वादी एवं प्रतिवादीगण के भूमि पर पहुचने हेतु रास्ता अंकन किया जावे। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक भू०अ०/2025/9886 दिनांक 18.11.2025 से तकास्मा स्किम भिजवायी गयी जिसके अनुसार :-

1. रामस्वरूप पुत्र गोपीलाल माली सा०देह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4550/1	0.17 हैक	बा.3
4551/4970/1	0.12 हैक	बा.3
4559/4969/1	0.02 हैक	चा.3
कुल किता 3	0.31 हैक	

2. रामनाथ पुत्र कल्याण माली सा०देह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4550/3	0.27 हैक	बा.3
4559/4969/2	0.04 हैक	चा.3
कुल किता 2	0.31 हैक	

3. चिरंजीलाल, मूलचन्द, सीताराम पि० धूलीलाल माली सा०देह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4547	0.24 हैक	बा.3
4551/4970/2	0.04 हैक	बा.3
4550/2	0.34 हैक	बा.3
कुल किता 3	0.62 हैक	

प्रकरण में वकील वादी ने तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त तकास्मा स्कीम के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। प्रकरण में वकील वादी द्वारा तकास्मा स्कीम में कोई आपत्ती नहीं की है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त तकास्मा के अनुसार तकास्मा किया जाना स्वीकार किया है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर निम्नानुसार आदेश दिया जाता है कि

राजस्व ग्राम खिलचीपुर के खातेदार कमशः:-

1. रामस्वरूप पुत्र गोपीलाल माली सा0देह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4550/1	0.17 हैक्0	बा.3
4551/4970/1	0.12 हैक्0	बा.3
4559/4969/1	0.02 हैक्0	चा.3
कुल किता 3	0.31 हैक्0	

2. रामनाथ पुत्र कल्याण माली सा0देह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4550/3	0.27 हैक्0	बा.3
4559/4969/2	0.04 हैक्0	चा.3
कुल किता 2	0.31 हैक्0	

3. चिरंजीलाल, मूलचन्द, सीताराम पि0 धूलीलाल माली सा0देह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4547	0.24 हैक्0	बा.3
4551/4970/2	0.04 हैक्0	बा.3
4550/2	0.34 हैक्0	बा.3
कुल किता 3	0.62 हैक्0	

का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें। तकास्मा स्किम में प्राप्त नक्शा शीट आदेश का भाग रहेगा। तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफतर दाखिला हों। निर्णय आज दिनांक 8/1/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान

सवाई माधोपुर

1. चिरंजीलाल पुत्र स्व० धूलीलाल जाति माली निवासी खिलचीपुर सा०गा०
2. मूलचंद पुत्र स्व० धूलीलाल जाति माली (फोट)
- 2/1- नवीन पुत्र स्व० मूलचंद माली
- 2/2- हंसराज पुत्र स्व० मूलचंद माली
- 2/3- अनीता पुत्री स्व० मूलचंद माली
- 2/4- गदोडी पुत्री स्व० मूलचंद माली
- 5- मांगी बेवा स्व० मूलचंद माली

1. रामस्वरूप पुत्र गोपीलाल
2. रामनाथ पुत्र कल्याण जातिमान माली निवासीयान खिलचीपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

बनाम

सीताराम पुत्र स्व० धूलीलाल माली निवासी खिलचीपुर सवाई माधोपुर नम्बर मुकदमा 78 सन् 2013 दावा बाबत बंटवारा सम्मिलित खातेदारी की कृषि भूमि, तहत दफा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वादी की ओर से श्री श्याममोहन शर्मा एड० और प्रतिवादी गण की ओर से एक पक्षीय की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 8.11.2016 को श्री गौरव कुमार मित्तल (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर निम्नानुसार आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खिलचीपुर के खातेदार कमशः:-

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4550/1	0.17 हैक्ठ	बा.3
4551/4970/1	0.12 हैक्ठ	बा.3
4559/4969/1	0.02 हैक्ठ	चा.3
कुल किता 3	0.31 हैक्ठ	
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4550/3	0.27 हैक्ठ	बा.3
4559/4969/2	0.04 हैक्ठ	चा.3
कुल किता 2	0.31 हैक्ठ	
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
4547	0.24 हैक्ठ	बा.3
4551/4970/2	0.04 हैक्ठ	बा.3
4550/2	0.34 हैक्ठ	बा.3
कुल किता 3	0.62 हैक्ठ	

का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तकास्मा रिकम में प्राप्त नक्शा शीट आदेश का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना - अपना वहन करें।

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 8.11.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

वाद के खर्च

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शाक्ति पद के लिए स्टाम्प	00.00	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0.00	
3 प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू० पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
4 प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	0.00	
6 कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
7 आदेशिका की तामील	03	00			
जोड़	07.00	00	जोड़	00.00	